

आयुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा) का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (AUDIT) नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001 NEW CUSTOMS HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI-400001

फोन नं-0222275 7717, ई मेल- hindimumbalzone1@gmail.com

फाइल से. CADT/HIN/1/2/2024-ADMN-O/o COMMR-CUS-ADT-ZONE-I-MUMBAI

दिनांक: 17.06.2025

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन Constitution of Official Language Implementation Committee (OLIC)

राजभाषा नियमों के अनुपालन में, आयुक्तालय लेखापरीक्षा में, निम्नानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) का गठन किया जाता है।

In compliance Official Language rules, the Official Language Implementation Committee (OLIC), under Audit commissionerate, is constituted as mentioned below.

क्रमांक	अधिकारीगण के नाम	पदनाम	पदभार
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)	, * s biga	
1	श्रद्धा जोशी शर्मा	आयुक्त	अध्यक्ष
	SHRADDHA JOSHI SHARMA	COMMISSIONER	CHAIRMAN
2	विनय कुमार कंथेटि	अपर आयुक्त	सदस्य
	VINAY KUMAR KANTHETI	ADDITIONAL COMMISSIONER	MEMBER
3	निधीश वी. सिंघल	संयुक्त आयुक्त	सदस्य
	NIDHISH V. SINGHAL	JOINT COMMISSIONER	MEMBER
5	प्रमोद कुमार चौहान	सहायक आयुक्त	सदस्य
	PRAMOD KUMAR CHAUHAN	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
6	देवेन्द्र आर. अग्रवाल	सहायक आयुक्त	सदस्य
	DEVENDRA R. AGARWAL	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
7	संजय कुमार बी. मेहता 🔐	सहायक आयुक्त	सदस्य
	SANJAY KUMAR B. MEHTA	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
8	विजय एन. बड़ेकर	सहायक आयुक्त	सदस्य
	VIJAY N. BADEKAR	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
9	कैलाश तेजवानी	सहायक आयुक्त	सदस्य
	KAILASH TEJWANI	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
10	सी. आर. रेड्डी	सहायक आयुक्त	सदस्य
	C. R. REDDY	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
11	प्रवीण सी निखाई	सहायक आयुक्त	सदस्य
	PRAVEEN C. NIKHADE	ASSISTANT COMMISSIONER	MEMBER
13	धर्म वीर चौहान	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य सचिव
	DHARM VEER CHAUHAN	JUNIOR TRANSLATION	MEMBER
	कुत एवं मुख्य लेखाधिकारी भी इसके सदस्य होंगे।	OFFICER	SECRETARY

2-संसदीय राजभाषा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही के अधिमानतः प्रथम माह में आयोजित की जाएगी। हालांकि, अपरिहार्य कारणों से संबंधित तिमाही के भीतर किसी भी महीने में आयोजित की जा सकती है। इस बैठक में समिति के समस्त अधिकारीगण की उपस्थित अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

As per the guidelines of Parliamentary committee on Official Language, the meeting should be convened preferably in the first month of every quarter. However, Due to unavoidable reasons, it may be held in any month within the concerned quarter. All the officers of the committee have to attend the said meeting positively.

3-बैठक की तिथि समय एवं अजेंडा के अनुमोदन/पुष्टि की पूर्व अनुमति कार्यालय प्रमुख, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, से ली जाएगी।

The prior approval/confirmation for date, time and agenda of the meeting will be taken from the Head of the Department who will be the chairman of the committee.

4-समिति के सभी अधिकारी राजभाषा संबंधी नियमों, राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का सुगम एवं गतिशील कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा हिन्दी कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु यथोचित कदम उठाएंगे। राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली किन्ही समस्याओं/मुद्दों को समिति के संज्ञान में लाया जाएगा जिस पर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। All the officers of the committee shall ensure the effective implementation and smooth functioning of the Official Language Rules and Regulations issued from time to time. They shall take necessary steps to promote the use of Hindi in official work. Any issues/matters related to the implementation of official language may be brought to the notice of the committee for the quick resolution of the same.

5-बैठक में लिए गए निर्णयों का पूर्णतः अनुवर्ती अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन समिति की बैठक में ही किया जा सकेगा। हालांकि, समिति के अध्यक्ष अपने विवेकानुसार राजभाषा हिन्दी के उत्थान हेतु किसी भी समय किसी भी निर्णय में परिवर्तन करने या कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

The decisions taken by the committee shall be fully complied with. Any change in the decision(s) shall be entertained by the committee itself in the upcoming OLIC meeting. However, the chairman of the committee shall be the competent authority to change or to take any decision(s) on his own discretion at any point of time, for the upliftment of Official Language Hindi.

6-भविष्य में भी समिति पदनाम के अनुसार अस्तित्व में बनी रहेगी; लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसका पुनर्गठन किया जा सकता है।

The committee shall exist by designation even in future; however due to administrative reasons it may be reconstituted.

7-सदस्य सचिव समयानुसार बैठक का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक का कार्यवृत केवल हिन्दी में समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से ही जारी किया जाएगा।

Member secretary/OLIC shall ensure the timely conduct of the meeting. The minutes of the meeting duly approved by the chairman, shall be issued only in Hindi.

8-अनुवाद अधिकारी के पद उपलब्ध/तैनाती न होने की स्थित में, उस समय के राजभाषा अधिकारी, जो हिन्दी अनुभाग के प्रभारी हों, समिति के सदस्य सचिव होंगे। In case of non-availability/non-posting of translation officer, the incumbent Rajbhasha officer, Hindi section in-charge, shall be the member secretary of the committee.

9-ये दिशा-निर्देश इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। These instructions shall come into force from the date of issue of this letter.

10-इसे आयुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Commissioner of Customs (Audit).

(देवेन्द्र आर. अग्रवाल)

(Devendra R. Agarwal)

सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा)/राजभाषा Assistant Commissioner of Customs (Audit)/O.L.

प्रतिलिपि/Copy to:

1-आयुक्त सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा) नवीन सीमाशुल्कभवन ,मुंबई, अंचल-। Commissioner of Customs (Audit),New Customs House, Mumbai, Zone-I.

-2समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-1, All ADCs/JCs (Audit), Mumbai Customs, Zone-1.

3-समस्त उप/सहायक आयुक्त (लेखापरीक्षा), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-।, All DCs/ACs (Audit), Mumbai Customs, Zone-I.

4- मुख्य लेखाधिकारी (लेखापरीक्षा), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-।, Chief Account Officer (Audit), Mumbai Customs, Zone-I.

5-समस्त अनुभाग (लेखापरीक्षा), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-। All sections (Audit), Mumbai Customs, Zone-l.

6-ईडीआई अनुभाग, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। EDI section, Mumbai Customs, Zone-I, for uploading on website.

7-सूचना पट्ट एवं फाइल हेतु हार्ड कॉपी/Hard copy for notice board and guard file.